

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला-कोरबा (छ.ग.)

अधिसूचना

क्रमांक / 11825 भू-अर्जन / 2022

कोरबा, दिनांक 03 / 10 / 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् -

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	पोंडी उपरोड़ा	पुटुवा	0.449 हे.	तुमान-पुटुवा-बनखेता मार्ग में अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02 / 11 / 2022 को समय 12:00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन पुटुवा में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है -

- (1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण - तुमान-पुटुवा-बनखेता मार्ग में अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग निर्माण के लिए अर्जित होने पर
- (2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या - 01 परिवार
- (3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या - 01 परिवार
- (4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या - निरंक
- (5) प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या - निरंक
- (6) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है? - हाँ
- (7) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? - हाँ
- (8) परियोजना की कुल लागत - रु. 1150.45 लाख
- (9) परियोजना से होने वाला लाभ - सुगम यातायात हेतु।
- (10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय - प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
- (11) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक - निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागी अधिकारी(रा.)
पोंडी उपरोड़ा

कलेक्टर
जिला-कोरबा (छ.ग.)
एवम् पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग